रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052023-245885 CG-DL-E-15052023-245885

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] No. 295] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2023/वैशाख 25, 1945 NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2023/VAISAKHA 25, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2023

सा.का.नि. 367(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 233 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2023 है।
 - (2) ये नियम 15 जून, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 में, नियम 25 के, उपनियम (5) और (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थातु:-
 - (5) जहां केन्द्रीय सरकार को धारा 233 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम की प्रति की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक से स्कीम पर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं होता है और केंद्रीय सरकार का यह मत है कि यह स्कीम लोकहित में है या लेनदारों के हित में है तो वह उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर, प्ररूप संख्या सीएए-12 में विलय या समामेलन की ऐसी स्कीम का पृष्टि आदेश जारी कर सकती है:

3138 GI/2023 (1)

परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार धारा 233 की उपधारा (2) के अधीन इस स्कीम की प्राप्ति के साठ दिनों की अविध के भीतर पुष्टि आदेश जारी नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि स्कीम पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और तद्नुसार पुष्टि आदेश जारी किया जाएगा।

- (6) जहां केन्द्रीय सरकार को धारा 233 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम की प्रति की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार या शासकीय समापक या दोनों से आपत्तियां या सुझाव प्राप्त हो जाते हैं और –
 - (क) कंपनी रजिस्ट्रार या शासकीय समापक की ऐसी आपत्ति या सुझाव को स्थायी नहीं माना जाता है और केंद्रीय सरकार का यह मत है कि स्कीम लोकहित में या लेनदारों के हित में है तो केंद्रीय सरकार, उपर्युक्त निर्दिष्ट तीस दिनों के पश्चात् तीस दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप सं. सीएए-12 में विलय या समामेलन की ऐसी स्कीम के लिए एक पृष्टि आदेश जारी कर सकती है।
 - (ख) केंद्रीय सरकार का ऐसी आपत्ति या अन्यथा के आधार पर यह मत है कि स्कीम लोकहित में या लेनदारों के हित में नहीं है तो वह स्कीम की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इस अधिनियम की धारा 232 के अधीन स्कीम पर आपत्ति या मत का उल्लेख करते हुए अधिकरण के समक्ष प्ररूप सं. सीएए-13 में अधिकरण के विचारण हेतु आवेदन फाइल कर सकती है।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम की प्राप्ति के साठ दिनों की अविध के भीतर खंड (क) के अधीन पृष्टि आदेश जारी नहीं करती है या खंड (ख) के अधीन कोई आवेदन फाइल नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि उसे स्कीम पर कोई आपत्ति नहीं है और तद्नुसार पृष्टि आदेश जारी किया जाएगा"।

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल.V भाग]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं. 1134(अ) तारीख 14 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 401(अ) तारीख 30 मई. 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2023

- **G.S.R. 367(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 233 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force with effect from 15th day of June, 2023.
- 2. In the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, for sub-rules (5) and (6) of rule 25, the following sub-rules shall be substituted, namely:-
 - "(5) Where no objection or suggestion is received within a period of thirty days of receipt of copy of scheme under sub-section (2) of section 233, from the Registrar of Companies and Official Liquidator by the Central Government and the Central Government is of the opinion that the scheme is in the public interest or in the interest of creditors, it may, within a period of fifteen days after the expiry of said thirty days, issue a confirmation order of such scheme of merger or amalgamation in Form No. CAA.12:

Provided that if the Central Government does not issue the confirmation order within a period of sixty days of the receipt of the scheme under sub-section (2) of section 233, it shall be deemed that it has no objection to the scheme and a confirmation order shall be issued accordingly.

(6) Where objections or suggestions are received within a period of thirty days of receipt of copy of scheme under sub-section (2) of section 233 from the Registrar of Companies or Official Liquidator or both by the Central Government and –

(a) such objections or suggestions of Registrar of Companies or Official Liquidator, are not sustainable and the Central Government is of the opinion that the scheme is in the public interest or in the interest of creditors, it may within a period of thirty days after expiry of thirty days referred to above, issue a confirmation order of such scheme of merger or amalgamation in Form No. CAA.12.

(b) the Central Government is of the opinion, whether on the basis of such objections or otherwise, that the scheme is not in the public interest or in the interest of creditors, it may within sixty days of the receipt of the scheme file an application before the Tribunal in Form No. CAA.13 stating the objections or opinion and requesting that Tribunal may consider the scheme under section 232 of the Act:

Provided that if the Central Government does not issue a confirmation order under clause (a) or does not file any application under clause (b) within a period of sixty days of the receipt of the scheme under subsection (2) of section 233 of the Act, it shall be deemed that it has no objection to the scheme and a confirmation order shall be issued accordingly."

[F. No. 2/31/CAA/2013 – CL.V Part]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide notification* number G.S.R. 1134(E), dated the 14th December, 2016 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 401 (E) dated 30th May, 2022.